

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा (उ०प्र०)

संख्या: नोएडा/मु०आ/३०/२०१४/ III - 227/ 757

दिनांक: 30/9/14

सेवा में,

M/s Supertech Limited,
B - 28, Sector - 58,
Noida

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2014 के संदर्भ में आपके द्वारा चुप आउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच० - ०१ए, सेक्टर - 74, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ पुनर्जीवित स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (पांच निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
- मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी सामाजिक निष्काय जैसे (नगरपालिका नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्ट) नहीं माना जायेगा।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास कार्य होगा जायेगा तो वह किसी विना अपति क देन होगा।
- दर्शाजे व खिडकियों इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसको पहले दिखी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हो।
- विजली की लाईन से फीच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
- आवटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर वातावरण अवरोध नहीं होना चाहिए।
- स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण रहत पर रखना होगा ताकि उसकी नौके पर सभी भी जोष की आसकी तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकल्प विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्ततः स्वीकृत मानचित्र रहत निरस्त माना जायेगा।
- आवटी में जेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र रहत निरस्त माना जायेगा।
- सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
- आवटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकल्प) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवटी उसे डकेगा।
- यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा वरन्त पट्टेदार को पट्टे के अधिनस्तर उपलब्ध हो अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
- आवटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार सगपट्टि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- आवटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुरीत तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकल्प नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
- शोशर, पट्टा प्रलेख, उप पट्टा प्रलेख, महागणना, भवन विनियमनवली आदि के यथा संस्तोचन इत्यादि के नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।

- 16 सभी प्रस्तावित फ्लैट्स के दलक में भूतल पर प्रस्तावित रिटल तल/फ्लोरिअम तल की ऊँचाई भवन विनियमावली 2010 के प्रावधानों के अनुसार बीम के नीचे (beam bottom) से फ्लोर तक 2.40 मी० ही अनुमत्य है, जिसके अनुरूप ही प्रस्तावित निर्माण किया जायेगा।
- 17 सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निक्करी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रथमतः भवन की हाईड्रोलॉजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्डस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केंद्रीय भू-जल परिषद अध्याय उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
- 18 योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
- 19 योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नोएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 20 सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रवर्धन भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अवॉरिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन सनरत विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
- 21 सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना 2031 के जोविंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली - 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमत्य क्रियाएँ एवं उपयोग तथा उसके स्ट्रुक्चरिंग यूज में अनुमत्य क्रियाएँ एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, ठिकानेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
- 22 पंजीकरण एवं आवंटन पुरस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
- 23 पंजीकरण एवं आवंटन पुरस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवंटनों को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
- 24 सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधाएँ तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शारणीय नीति/निर्देशों, बी0आई0एस0/आई0एस0 के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरांत आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रिम में लाया जायेगा।
- 25 सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारत की नीति के अनुसार उच्च संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संयोजन, परिरक्षितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुदृढ़ एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/पौध रोपण एवं सायाजिक जातिवृक्ष, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबंधित शारणीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
- 26 सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्य, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ, आधारभूत सुविधाएँ, सभी स्ट्रक्चर, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अपुरक्षण आवेदक सस्था को रख करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शारत द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
- 27 सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लोड, सब लोडिंग आदि आवेदक सस्था द्वारा आवंटन विनियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व निशियों, भवन विनियमावली 2010, नोएडा महायोजना - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के गन्नावश्यक पूर्णमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 28 परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारणीय एवं ले अद्यत एवं असतत व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगमता के दृष्टिगत अवश्यामुक्त परिसर के जग में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।

2

29. परिधीयता के समस्त भवनो का निर्माण आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, आवश्यकता सुविधाएँ, जन सेवाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जज, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित हैं।
30. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवटी को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
31. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
32. पुनर्शिक्षित मानचित्रों में दर्शायी गयी भाषे/क्षेत्रफल तालिका में कोई भी बदलाव से पहले वाले प्रभाव के लिए आवटी संस्था पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।
33. सेवा तल का उपयोग केवल उल्लेखित गतिविधि तथा सेवा उपकरणों के स्थापना एवं इनका रख-रखाव के लिए ही किया जायेगा।
34. यदि आवटी संस्था द्वारा सेवा तल का उपयोग सेवा उपयोग के अलावा अन्य किसी भी उपयोग में किया जाता है तो उस क्षेत्रफल को फर्शी तल अनुमन्य क्षेत्र (एफओएओआर) की गणना में सम्मिलित किया जाएगा एवं आवटी संस्था से इस अशय से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
35. आवटी संस्था इन सेवा तलों का उपयोग सेवा उपकरणों के स्थापना के उपरान्त प्राधिकरण से निरीक्षण करायेगा एवं प्राधिकरण की संतुष्टी के उपरान्त ही इस सेवा तलों की बड़ी हुई ऊँचाई का अनुमोदन प्रमाणी समझा जायेगा। संस्था द्वारा सेवा तल में उल्लेखित सेवा उपकरणों की स्थापना में शिफारस पर यह क्षेत्र नियमानुसार फर्शी तल अनुपात (एफओएओआर) की गणना में शामिल किया जायेगा।
36. इन सर्विस तलों का उपयोग मात्र सेवाओं हेतु कॉमन एरिया के रूप में होगा और किसी भी प्रकार से विक्रय/खीज आदि नहीं किया जायेगा तथा इस क्षेत्र को आरओडब्ल्यूओ/सेवाओं को संचालित करने वाली संस्था/सौरगर्हटी मात्र संचालन एवं रख रखाव नियमानुसार हेतु हस्तगत किया जायेगा।
37. यह अनुमोदन एक समर्थकारी उपबन्ध (Enabling Provision) होगा एवं यह आवटी संस्था को अधिकार के रूप में अनुमन्य नहीं होगा।
नोट: निम्न शर्तों के अनुपालन नहीं करने की दशा में यह पुनर्शिक्षित स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
38. प्राधिकरण को थ्रु हाऊसिंग विभाग से दैदा समथ वृद्धि पत्र एवं अदेयता प्रमाण पत्र पुनर्शिक्षित भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों में प्रस्तुत करना होगा।
39. आवटी संस्था को पुनर्शिक्षित भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों में समस्त क्रेताओं से मूल स्वीकृति मानचित्र को विरुद्ध किये गये किसी भी प्रकार के परिवर्तन के सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
40. आवटी पुनर्शिक्षित भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों में योजना में सभी आवटी फ्लैट्स के आवंटियों से विषय अनुबन्ध पंजीकृत करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
41. पुनर्शिक्षित भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुबन्ध का संवर्धन) अधिनियम, 2010 की धारा (12) की उपधारा (2) के अन्तर्गत संचालित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
42. प्रस्तावित अपार्टमेंट्स के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010, तथा इसके अटीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत भवन मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग है। भवन निर्माण कार्य स्वीकृत भवन मानचित्र की वैधता दिशि के अन्तर्गत पूर्ण करने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार आवेदन कर तथा दिना आला व अधिभोग प्रमाण पत्र किये दिना भवन को प्रयोग में ला लाने।



- भूखण्ड का क्षेत्रफल 2,09,271.470 वर्ग मी०
- अनुमन्य एफ ए आर @ 2.75 5,75,496.542 वर्ग मी०
- ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 574 एफ0ए0आर0 (5,75,496.542 का) 28,774.827 वर्ग मी०
- ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 574 एफ0ए0आर0 के साथ 6,04,271.369 वर्ग मी०
कुल अनुमन्य एफ0ए0आर0 (5,75,496.542 + 28,774.827)
- अनुमन्य नू-आवग्रहित क्षेत्रफल @ 40: 83,708.588 वर्ग मी०
- अनुमन्य ऊँचाई जोई सीमा नहीं
- प्रस्तावित ऊँचाई 255.00 मी०
- अनुमन्य रोडवेक 25.0 मी० व अन्य सीमा साइट 9.0 मी०

आवंटी समस्या द्वारा विभिन्न तलों पर विभाजित पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है :-

तल एफ.ए.आर.	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल /एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल /एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)
लैंडर भूखण्ड		1438.12	1457.72
भूखण्ड	83,708.588	28634.77	25,044.37
प्रथम तल		29686.57	27,098.64
द्वितीय तल		27745.92	26,783.85
तृतीय तल		24743.97	22,960.67
चतुर्थ तल		24743.97	22,960.67
पंचम तल		24743.97	22,960.67
छठवां तल		23294.81	22,507.57
सातवां तल		23294.81	22,507.57
आठवां तल	शेष	21482.51	22,507.57
नौवां तल	एफ0ए0आर0	21482.51	21,488.65
दसवां तल		21482.51	21,488.65
ग्यारहवां तल		21482.51	21,488.65
बारहवां तल		21482.51	21,488.65
तेरहवां तल		21482.51	21,488.65
पंद्रहवां तल		21482.51	21,488.65
सोलहवां तल		21482.51	21,488.65
सत्रहवां तल		20822.55	21,488.65
अठारहवां तल		20822.55	21,488.65
उननीहवां तल		20297.30	21,488.65
पैंसठवां तल लैंडर		4537.75	0,747.96

वीसवां तल - अंगर (सर्पिंग तल)	0.00	0.00
नाथ आई/सीआर		
इकतीसवां तल	6608.01	7887.86
चाइसवां तल	6608.01	7887.86
तइसवां तल	6608.01	6733.94
वीवीसवां तल	6608.01	6733.94
पवीसवां तल	3733.94	3737.19
छवीसवां तल	3733.94	3737.19
सवाइसवां तल	3733.94	3737.19
अठ्ठाइसवां तल	3733.94	3737.19
उनतीसवां तल	3733.94	3737.19
तीसवां तल	3733.94	3737.19
इकज्तीसवां तल	3410.56	3737.19
अतीसवां तल	3410.56	3737.19
दोतीसवां तल	3410.56	3737.19
तीसवां तल	3421.17	4011.02
छतीसवां तल	3421.17	4011.02
सतीसवां तल	3421.17	4011.02
अठ्ठातीसवां तल	3421.17	4011.02
उन्नातीसवां तल	3421.17	4011.02
चातीसवां तल	2682.51	4011.02
इकतीसवां तल	2682.51	4011.02
चाइतीसवां तल	2374.09	4011.02
तइतीसवां तल	2374.09	4011.02
वातीसवां तल	2374.09	2950.42
पेवातीसवां तल	2374.09	2950.42
विवातीसवां तल	635.93	3418.55
तल - अंगर	0.00	0.00
विवातीसवां तल		
सर्पिंग तल		
(नाथ आई)		
तीसतीसवां तल	1568.02	2750.28
अठ्ठातीसवां तल	1513.31	2153.90
अठ्ठातीसवां तल	1568.02	1568.02
पेवातीसवां तल	1513.31	1513.31
इकतीसवां तल	1568.02	1568.02

2 3 10

बावनवां तल	शेष एफ०ए०आर०	1513.31	1513.31
त्रेपनवां तल		1568.02	1568.02
च्यवनवां तल		1513.31	1513.31
पचपनवां तल		1568.02	1568.02
छप्पनवां तल		1513.31	1513.31
सत्तावनवां तल		1568.02	1568.02
अट्ठावनवां तल		1513.31	1513.31
उनसठवां तल		1568.02	1568.02
साठवां तल		1513.31	1513.31
इक्कसठवां तल		1568.02	1568.02
बासठवां तल		1513.31	1513.31
त्रेसठवां तल		1568.02	1568.02
चौसठवां तल		1513.31	1513.31
पैसठवां तल		1564.44	1564.44
छासठवां तल		477.08	477.08
छत्त तल		76.78	240.13
एफ.ए.आर. (टॉवर व वाणिज्यिक/सेवा, ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% एफ०ए०आर० के साथ)	6,04,271.369	592959.00	603858.42
प्रथम तहखाना	सेटबैक छोड़ने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	185177.595	1,83,530.42
द्वितीय तहखाना		73150.842	83,007.95
तृतीय तहखाना		12210.611	NIL
कुल क्षेत्रफल		270539.048	2,66,538.37
स्टिल्ट तल	83,708.588	3830.01	3108.69
सेवा तल		
बीसवां तल		2750.51	4769.50
छयालीसवां तल		2206.33	3031.93
कुल क्षेत्रफल		4956.84	7801.43
नॉन एफ.ए.आर (सेवा क्षेत्रफल)	86324.481	86324.481	85,172.89
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल	= 604186.119 + 270539.048 + 3830.01 + 4956.84 + 86324.481 = 9,69,836.498 वर्ग मी०		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल	= 603858.42 + 2,66,538.37 + 3108.69 + 7801.43 + 85,172.89 = 9,66,479.80 वर्ग मी०		

Handwritten signature/initials

- पुनर्शिक्षित सु-आयुधित क्षेत्रफल : 40,535.79 वर्ग मी० (19,37.1)
- पुनर्शिक्षित एफओआरओ (ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधान सहित) : 6,03,858.42 वर्ग मी० (2,685)
- कुल टावर्स की संख्या : 54
- कुल ड्यूटिंग यूनिट्स : 8055 यूनिट्स

संलग्नक - पुनर्शिक्षित स्वीकृत भवन मानचित्र ।

Plan for proposed building is as below :-
 (This plan is for approval Please)


Asst. Secy. Asst. Secy. Asst. Secy.

नाम.....
 पद.....

नोएडा
 सी० ए० देवप्रभास
 मुख्य सहायक निदेशक
 नोएडा

प्रतिलिपि:

- विशेष कार्यधिकारी (ग्रुप हाउसिंग), नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/REVALIDATION/2010/563//277-8/

Date: 18.10.2016

To,
M/s Supertech Limited
C-45, Sector-62
Noida-201307 (U.P)

Sub: Renewal/Revalidation of NOC Case no. AAI/NOC/2010/563/29-31 dated 12-01-2011.


Sir,

Reference may please be made to your NOC application No. Nil dated 07.10.2016.

The NOC issued by this office vide letter no. AAI/NOC/2010/563/29-31 dated 12-01-2011 for construction of Group Housing by M/s Supertech Limited at location Plot No. GH-01, Sector-74, Noida, Gautam Budh Nagar, is hereby extended upto 11-01-2019 under same terms and conditions as mentioned in the NOC dated 12-01-2011.

The Validity will not be extended beyond 11-01-2019.

This issue with the approval of the competent Authority.


(G.P. Singh)
Deputy General Manager (ATM-NOC)
For General Manager (ATM) NR

Copy to:

1. The Executive Director (ATM), AAI, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003.
2. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, Terminal-3, IGI Airport, New Delhi-110037.
3. The Chief Architect Planner, New Okhla Industrial Development Authority, Noida.
4. Guard File.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

REGD POST

AAI/NOC/2011/ 522

Date: 8th Feb, 2011

To

✓ M/s Supertech Ltd,
C-45, Sector-62,
Noida

Subject: Issuance of Advisory to high rise structures/ Buildings near
to proposed Jewar Airport

Sir,

In the light of NOC issued vide letter no AAI/NOC/2010/563/ 29-31 dated 12-01-2011 for Group Housing Project at Sector-74 Noida . The ICAO regulation & Ministry of Civil Aviation notifications S.O.84 (E) required the following advisory to be issued for information & compliance.

Ministry of Civil Aviation notifications S.O.84 (E). Clearly states that " **IN RESPECT OF AERODROMES WHICH ARE REQUIRED TO BE CONSTRUCTED OR DEVELOPED WHERE THE HEIGHT OF ANY EXISTING BUILDING OR STRUCTURE OR TREE ON ANY LAND WITHIN THE LIMITS SPECIFIED IN ANNEXURE I AND ANNEXURE II, EXCEEDS THE HEIGHT SPECIFIED IN THIS NOTIFICATION, THE OWNER OF THE PERSON HAVING CONTROL OF SUCH BUILDING, STRUCTURE OR TREE SHALL REDUCE THE HEIGHT THEREOF WITHIN A PERIOD OF ONE MONTH FROM THE DATE OF PUBLICATION OF NOTIFICATION IN THIS REGARD SO AS NOT TO EXCEED THE SPECIFIED HEIGHT..**"


As it is well known that there is a proposal to construct civil airport at Jewar & this proposal is being considered at higher levels. In order to protect the ANNEX- 14 OLS (Lateral range upto 20 Kms from ARP), the radio navigation based on ANNEX -10(Upto operational range of equipment) & operational requirement for minimum altitudes of various segments of instrument approach procedure based on document 8168 volume -II (Operational range of procedures & MSA normally upto 30 NM)" of proposed Jewar Airport, **in future you may have to reduce the height of the building for protecting the operational capability of proposed Jewar Airport.**

Contd/-

-2/-

Further more you are also required to get NOC from IAF for Hindon Airport as the site falls near to it.

Yours Sincerely,



(RAM LAL)
General Manager (ATM)
Northern Region

Copy to:- 1. The Chairman, New Okhla Development Authority , Main
Administrative Building, Sector- VI, Noida-201301.

2. ED (ATM) Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan,
Safdarjung Airport, N.D

GENERAL MANAGER (ATM)

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-4/जे0डी0/लखनऊ-14(जीएन)

256

दिनांक:सितम्बर

24

,2014

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक

नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-6

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स सुपरटेक लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-01, सेक्टर-74 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " केपटाउन" के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी:

2014/3626/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/533/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम से कराया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 22-09-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फा0स0 मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गई संस्तुति आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-प्रश्नगत भवन का प्लॉट एरिया-2,00,000.00 वर्ग मी0 जिसका प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व मे तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या: भ-81/सीएफओ/जीवीएन-10 (1)/1229 दिनांक: 23-10-2010 एवं दिनांक: 21-09-2012 के माध्यम से निर्गत किया गया है, वर्तमान मे निम्नांकित टावरों मे कतिपय संशोधन किये गये है, प्रस्तावित भवनों का विवरण निम्नवत है:-

क.स.	नाम टावर	तलों की संख्या		भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0 मे	
		पूर्व	वर्तमान			पूर्व	वर्तमान
1	केप राउण्ड-सी0आर-1	भूतल एवं 41	भूतल एवं 47	633.74	571.67	126.15	148.65
2	केप राउण्ड-सी0आर-2	भूतल एवं 39	भूतल एवं 43	320.36	265.15	120.15	134.65
3	केप राउण्ड-सी0आर-3	भूतल एवं 39	भूतल एवं 43	320.36	265.15	120.15	134.65
4	नार्थ आई-ब्लॉक-बी	भूतल एवं 05	भूतल एवं 08	775.48	509.46	23.60	26.80
5	नार्थ आई-ब्लॉक-सी	भूतल एवं 05	भूतल एवं 08	775.48	509.46	23.60	26.80
6	नार्थ आई-ब्लॉक-डी	भूतल एवं 46	भूतल एवं 48	791.98	640.59	155.40	171.60

भवन का अधिभोग विवरण:-प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0वी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 45 मी0 तीन ओर मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0वी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।


उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 09-09 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है, जिनकी चौड़ाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- प्रस्तावित भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक प्लॉट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0वी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0वी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन मे 3,00,000.00 तीन लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक तथा प्रत्येक सर्विस तल पर 1,00,000 ली0 क्षमता का उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।



2-पम्पस:-भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प जो मल्टी आउटलेट मल्टीहैंड श्रेणी के होंगे तथा समान क्षमता के पम्प सर्विस तल पर स्थापित किये जाने प्रस्तावित है जो एसएफपीई मानकों के अनुसार पाये हैं।

3-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0, स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है जो मानकों के अनुसार है।

4-होजरील:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील एवं लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक तल पर 03 कि0ग्रा0/वर्ग से0मी0 प्रेशर उपलब्ध हों।

5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन सुपर हाई राईज है जिसमें मल्टीलेवल पर रिजर्व फायर वाटर टैंकों का प्राविधान किया गया है।

6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम की रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है।

7-ऑटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक तल पर सिप्रंकलर सिस्टम को संसाधनों यथा ग्रेविट व पम्प फीड से सप्लाई होगी ताकि किसी एक में खराबी आ जाने के फलस्वरूप कार्यशीलता किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है। डिडेक्शन सिस्टम को बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम को इण्टीग्रेट किया गया है ताकि डिडेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होने के साथ समस्त फायर प्रिवेन्शन एण्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में वॉच्छनीय व्यवस्थाएँ यथा प्रेशराईजेशन, लिफ्ट एवं स्टेयरवेल लाइटिंग, स्मोक एक्सट्रक्शन सिस्टम आदि से इण्टीग्रेट रहेंगे।

9-मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 एवं एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन हेतु सैण्डविच प्रणाली के अनुसार प्रत्येक फ्लोर पर (-ve) नैगेटिव प्रेशर एवं उपरी व नीचे तल पर (+ve) पोजिटिव प्रेशर का प्राविधान किया जाये। बेसमेन्ट में डक्टिड स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम ही मान्य होगा है।

12-निकास मार्गों/ रिफ्यूज एरिया / लिफ्टवेल/ लिफ्ट लाबी का प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में समस्त निकास मार्गों यथा स्टेयरकेस, लिफ्ट, एवं कोरिडोर का प्रेशराईजेशन एनएफपीए मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय

14-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में इण्टीग्रेटिड बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम प्रस्तावित है, परन्तु लोकल इण्टरकाम की व्यवस्था की अलग से की जानी

15-हैलीपेड:- प्रश्नगत भवन में हैलीपेड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन में प्रस्तावित है।

16-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

17-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को विल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है। सभी आपातकालीन व्यवस्थाएँ जैसे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन डक्ट, लिफ्ट केवल, एवं फायर पम्प आदि के केवल फायर प्रूफ यू0एल0 लिफ्टिड प्रोडक्ट होंगे।

18-कन्ट्रोल रूम:- प्रश्नगत भवन में कन्ट्रोल रूम की स्थापना करायी जाये जिसमें पूरे भवन का डिडेक्शन सिस्टम का पैनल एवं अग्निशमन व्यवस्था के समस्त आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित हो तथा जिसमें प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं की तुलना विश्व में पूर्व से निर्मित सुपर टाल भवनों से तालिका में दर्शायी गयी है।

विशेष शर्त:- प्रश्नगत भवन सुपर हाई राइज है जिसकी परिकल्पना एन0बी0सी0-2005 में नहीं की गयी है अतः भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अन्तराष्ट्रीय मानकों के प्राविधानों के अतिरिक्त निम्नांकित विशेष प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाना वॉच्छनीय है:-

1-भवन के चारों ओर 16 मीटर का मोटरेबुल स्पेस छोड़ा जाना आवश्यक होगा यह समस्त स्पेस 75 टन भार क्षमता के कम का नहीं होगा।

2-यद्यपि भवन बालकनी युक्त है, परन्तु 02 लेवल पर सर्विस फ्लोर एवं रिफ्यूज एरिया प्राविधान किया गया है जिसकी क्षमता रिफ्यूज एरिया के उपर आने वाले तलों की जनसंख्या के अनुरूप रखी गयी है। तत् सम्बन्धी गणना के इसका आंकलन किया गया है।

3-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में फायर टावर का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4-रिफ्यूज एरिया से रिफ्यूज एरिया एवं भूतल से रिफ्यूज एरिया तक एक्सप्रेस लिफ्ट का प्राविधान इवेक्युवेशन हेतु किया जाना आवश्यक है जिसकी संचालन सुविधाएँ पूर्णतया अग्नि निरोधक एवं इनक्लोजर सुविधाएँ 4 घण्टे तापरोधी क्षमता की आवश्यक हैं।

5-भवन में इवेक्यूशन व आपातकालीन परिस्थितियों में आग व जीव रक्षा कार्य हेतु बने रिफ्यूज एरिया में प्रशिक्षण युक्त फायर फाईटिंग व रेस्क्यू क्रयू जिसमें शिफ्ट में न्यूनतम संख्या 08 होगी तथा यह यूनिट निम्नांकित अग्नि व जीव रक्षा उपकरणों से युक्त होगी:-

ए0-बी0ए0 सैट-04 अदद।

बी0-हाइड्रोलिक कटर एण्ड स्प्रेडर।

संयुक्त निदेशक
अग्नि सुरक्षा विभाग
ग. व. लखनऊ

सी0-इन्सूलेटिड फायरमैन एक्स।

डी0-फर्स्ट एड किट।

ई0-स्कूप स्ट्रेचर-06 अदद।

एफ-जम्पिंग शीट।

जी0-पूरे भवन हेतु प्रशिक्षित फायर आफिसर।

6-भवन के मध्य भाग में स्थापित लिफ्ट बैंक व स्ट्रेचरकेस का प्रेशराईजेशन स्टेक इफैक्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाये।

7-भवन में स्थापित की जा रही सर्विस शाफ्ट प्रत्येक तल पर 4 घण्टे तापरोधी क्षमता के मैटीरियल से शील्ड की जायें तथा भवन में प्रयोग होने वाले समस्त केबिल एफ0आर0एच0 अथवा बेहतर श्रेणी के होंगे।

8-भवन में प्रयोग की जाने वाली गैस पाइप लाइन हेतु एक पृथक शाफ्ट का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

9-सर्विस शाफ्ट के दरवाजे फायर चैक डोर एवं स्प्रिंकलर व डिटेक्टर्स युक्त होंगे।

10-एक्सप्रेस एलीवेटर्स-

जी-विद्युतीय पैनल पर टेम्परेचर सेन्सिटिव टयूब वाले आटोमेटिक एक्सटिंग्यूशिंग सिस्टम से युक्त किया जाना वांछनीय है।

एच-प्रत्येक तल पर एक टाक बैंक सिस्टम लगाया जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वांछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सुपरटेक लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-01, सेक्टर-74 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "केपटाउन" के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(सी0के0एच0)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 बाराबंकी।

प्रतिलिपि:1- उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- अग्निशमन अधिकारी नोएडा प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-प्रबन्धक/ स्वामी मैसर्स सुपरटेक लि0, सेक्टर-58 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

Ref. No/70 831/Parya/SEAC/2011/TA(M)

to,

Mr. Ashok Vardhan Singh,
Head-Business Development & PR
Supertech Limited,
3rd Floor, Shopprax Mall,
C-134B, Sector 61,
Noida.

Dated 24 April, 2013

Subject-Regarding the Environmental Clearance of Proposed Residential Complex "Cape Town" at plot no - GH-01, Sector-74, Noida, U.P. U.P. M/s Supertech Limited, New Delhi.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 04-07-2011, 19-05-2011, 27-01-2012 & 05-02-2013 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment- Govt. of U.P. Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the case in its meetings held on dated 26-09-2011 & 08-02-2013. The case was presented by the project proponent along with his consultant M/s ENV, Development Assistance System (I) Pvt. Ltd. On the basis of documents submitted and the presentation, the SEAC has been given to understand that:

1. The proposal is covered under category 8b of the EIA notification dated 14/9/2006 and the amendments thereof and will be located at Plot No. GH-01, Sector-74, Noida, U.P. M/s Supertech Ltd.
2. The Plot area is 2,00,000 sq.m and total Built up area is 7,77,870.93 sq.mt.
3. The proposed Group housing Project consist Ground + Stilt+66 floors, 2 basement.
4. Height of the buildings will not exceed 198 mt.
5. Landscape area for the proposed project is 78,079.23 sqm. 1575 no of trees will be planted.
6. Total water demand- 3153 KLD, Fresh water requirement 2159 KLD. Fresh water is supplied by municipal supply.
7. 2217 KLD waste water will be generated & will be treated in STP of 2700 KLD capacity and 1107 KLD secondary level treated water will be sent to municipal sewers.
8. For RWH, 60 nos of pits are proposed.
9. 8534 ECS to be proposed.
10. 17 T/day municipal waste, 18.75 kgpd BMW and 741 kg Horticulture waste are proposed to be generated.
11. Total power requirement is 17883 KVA which will be met through state grid.
12. Power Backup for-emergency services will be provided by 10 X 750 KVA DG sets for small towers and 2500 X 6 DG sets for north eye.

The SEAC recommended to grant the Environmental Clearance for the project. On the basis of SEAC recommendations, the SEIAA, in its 85th meeting held on 07-03-2013 has decided to grant the

Environmental Clearance to this project with all the general conditions prescribed by the Authority for the construction projects and following specific conditions:-

General Conditions:

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U P pollution control board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent Authority shall be obtained in this regards.
5. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent Authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. Obtain necessary clearances from the competent Authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
14. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.

16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
24. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
26. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
27. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
28. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
29. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.

32. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. Prepare and present disaster management plan.
34. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
35. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalize by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
36. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
37. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
38. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
39. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
40. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
41. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
42. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority of
43. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
44. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
45. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
46. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
47. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.

48. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
49. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
50. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
51. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
52. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
53. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
54. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
55. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
56. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
57. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
58. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
59. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
60. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
61. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
62. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
63. Dispensary for first aid shall be provided.
64. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
65. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.

66. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
67. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
68. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
69. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
70. Rapid EIA status should be undertaken for three months during the non monsoon period and the monitoring should be as per the latest norms of MoEF.
71. Health impacts, Socio-economic impacts, soil degradation factors and biodiversity indices should also be included in E.I.A. reports.
72. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.
73. Appropriate safety measures should be made for accidental fire.
74. Smoke meters should be installed as warning measures for accidental fires.
75. A Compliance report of the similar project under taken earlier is to be submitted. This report is to be certified by RO, UPPCB.
76. Plan for safe disposal of R.O reject is to be submitted.

b. Specific Conditions:

1. Sprinkler to be used for curing and quenching during construction phase. No ground water to be used during construction and operation phase.
2. STP to be constructed during construction phase. For the treatment for total sewage a full-fledged STP is to be provided with dedicated power supply.
3. 100% waste water is to be treated in captive STP conforming to prescribed standards of receiving body for designated use.
4. Monitoring of STP to be done daily till its stabilization then weekly.
5. To discharge excess treated waste water into public drainage system permission from the competent authority to be taken prior to any discharge.
6. During operation sludge of STP is to be used in house and surplus manure should be managed by giving to end users.
7. All entry/exit point should be bell mouth. All internal roads should not be less than 9 meter wide. Wheel wash arrangement is to be made at exit point.
8. Use of LEDs should be explored in place of CFL. Solar light is to be provided in the common areas with 50% of them may be with dual provision.
9. Individual STP and D.G. sets to be handed over to individual RWA for the maintenance.
10. Rain Water Harvesting shall be done only from the roof top. RWH from green and other open areas shall be done only after permission from CGWB.


11. Height of the stack should be provided as discussed based on combined DG sets capacity and be higher than the tallest building in the project.
12. Environmental Corporate Responsibility (ECR) plan along with budgetary provision amounting to 2% of total project cost shall be submitted (within the month) on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in up-liftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The program may include activities such as old age homes, rain water harvesting provisions in nearby areas, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self employment and jobs. Separate budget for community development activities and income generating programmes shall be specified.
13. Crèche, convenient shopping provision shall be provided during the operation and construction phase.
14. A dedicated space/ room for senior citizens with suitable shall be provided near club during the operation phase.
15. Green belt area should be covered with 50% trees, 25% shrubs and 25% grass. Trees should be planted on 3 rows on the periphery. At least 50% of tree should be ever green.
16. Criteria/ norms provided by competent Authority regarding the seismic zone be followed for construction work.
17. E-waste shall be managed as per e-waste notification.
18. Wherever a particular area is recorded as a pond in the revenue records and all such ponds covered in the project area shall be adopted by the project proponents, and suitably rejuvenated.
19. Inhabitants of villages, if any, included in the project site will not be displaced but the facilities for the villagers shall be upgraded.
20. Post project monitoring for air, water (surface+ ground), Stack noise of D.G. sets, STP to be carried out as CPCB Guidelines.
21. ECS is to be as per Noida by laws.
22. Solid waste management be done by project proponent till the facilities is available in the area.
23. LIG & EWS housing to be provided as per Noida bye Laws.
24. Ground water should not be abstracted for the purpose of construction or otherwise. In case of default the Environmental Clearance will deem to be cancelled.
25. Project falling within 10 kms area of Wild Life sanctuary is to be obtained a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco sensitive zone is not earmarked.

The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance.

The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14-09-2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.




(J.S. Yadav)

Member Secretary, SEIAA

/831/Parya/SEAC/2012/TA(M) dated as above

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Advisor, IA Division. Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief conservator, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Gautam Budh Nagar.
6. Deputy Director, Environment Directorate, Regional Office Meerut.
7. Copy of web Master/Guard file.



(O.P. Varma)

Secretary SEAC / Director-in-charge,
Environment, U.P.



जलवायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन तृतीय तल, वी-ब्लॉक, विमूक्ति खण्ड

गाँवसी चमर, लखनऊ

संदर्भ संख्या: **F/2771**

सी-१/एन/एन/आर/सी-२७७/२७७१३

दिनांक: **२७-२-७३**

सेवा में,

मे०

सुपरटेक लि., 'केप टाउन' (आवासीय ग्रुप डेवलपिंग प्रोजेक्ट)

गोपालपुरा

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यस्थल इकाई की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु / नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आपके अधिकार पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ संशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है:

(क) स्थल : **प्लॉट नं० ७४, सेक्टर ७४, गोपालपुरा**

(ख) उत्पादन : **प्रस्तावित ३००००० वर्गमीटर भूमि पर निर्माणित इकाई**
विल्टवुड परियोजना ७७७७७७७७ वर्गमीटर पर आवासीय कलोनियाँ

(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा :

७५०. केवीए के १०. एवं २५००. केवीए के ०६. सी.जी. मेट स्थापित

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से मरिचकता उत्पन्न करने, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक संच, संयंत्र, इस्ति, परिदृश, उत्प्रावह, शुद्धिकरण, संचयन, रक्षा, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना की जायेगी प्रकृति विपदा इसका प्रत्यक्ष, माह की, दसवां तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एक वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहस्रति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहस्रति प्राप्त करने के बाद इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह सहस्रति जिम्मेदार सह निष्ठावदन प्रमाण को उत्पादन पूर्व प्रमाण आवेदन को उल्लेख करते हुए इस कोषालय में आवेदन हो प्रमाण कर दिया जाए। यदि उद्योग उत्पादन को अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विनियमन (किसी) पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

5. चरसूत्र (उपवाह) जिसकी जांच... अधिक लंबी होगी। रोडकट टंक एवं सोक पिट के माध्यम से चोड़ द्वारा निर्धारित ग्राहकों के अनुक्रमणिका विवरण को निर्धारित किया जाएगा।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण उपकरणों का निर्माण कार्य आयात के लिये विदेशी मशीनों की आपूर्ति इस कार्यालय में दिनांक...

7- म० सुपरटेक लि०, कम बरतार, आवासीय एवं वाणिज्य प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं०-जीएच-०१, सेक्टर-७३, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रस्तावित ३००००० कमीटर घुमि क्षेत्रफल, बिल्डअप क्षेत्रफल ३००००००००० कमीटर पर आवासीय कालोनी का निर्माण किया जाएगा।

8- संस्था द्वारा प्रस्तावित २२१० क०एन०डी० परमिट के शुद्धिकरण हेतु २००० क०एन०डी० क्षमता का 'सस्टेनैबल' का निर्माण कर एवं शुद्धिकरण उपकरणों का सिंचाई डिजाइन किया गया तथा फर्लरिंग हेतु प्रयोग किया जाये।

9- संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी०सेट स्थापित कर तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करे।

१०- सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम०एस०डब्ल्यू० रुल्स-२००० के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये एवं...

११- सार्वजनिक प्रस्तावित ३०००००० परमिट के शुद्धिकरण हेतु २००० क०एन०डी० क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

१२- संस्था प्रस्तावित २२१० क०एन०डी० परमिट के शुद्धिकरण हेतु २००० क०एन०डी० क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

१३- संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करे।

१४- आग्नेय संस्था-५६/२०१२ विवरण तोयल, वनम, यूनियन, आर्ग, इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार कार्य हेतु मंजूर की प्रयोग नही करे। इस संस्था में समय-समय पर मा० एन०डी० द्वारा निर्धारित आदेशों का पालन करे।

१५- संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन प्रस्तावित २२१० क०एन०डी० परमिट के शुद्धिकरण हेतु २००० क०एन०डी० क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

१६- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वेबसाइट पर या वेबसाइट के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा जो मूव हो माय होगी।

१७- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आवास विभाग तथा माओवादी/७२ द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत होगा।

१८- उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उद्योग परिसर के बाहर गूमि पर तथा परिसर के अंदर रिफरिंग द्वारा जमीन के अंदर नुकीला जायेगा।

१९- संस्था को निर्गत बंक गारण्टी, फॉर्म-१ए-१३२८१/एन०ओ०सी०-८७८/२०१३/१३, दिनांक...

२०- १३/०३/२०१३ को जारी आदेशों के अन्तर्गत कार्य अनापत्ति न करने की दशा में संस्था...

२१- संस्था को जिम्मेदार प्रस्तावित २२१० क०एन०डी० परमिट के शुद्धिकरण हेतु २००० क०एन०डी० क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

किसी पर्यावरण विवाद को सुलझाने में सहायता के लिए, उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारों को प्रभावित करने वाली शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कायलिय में दिनांक तक प्रथम अनुदान आख्या अवरुध प्रेषित की जाए। अनुदान आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनुपति निरस्त कर दी जाएगी।

सदस्य सचिव

पृष्ठांक सं.

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सिक्कि- ३)